

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक—05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या—01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—30/XXX-2(18/30(13)) 2017 दिनांक—06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या—140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक—25.05.2018 में वर्णित प्राक्षिधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक—05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम—3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम—4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है—

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री पवन कुमार काला अपर सहायक अभियन्ता	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार	निजी अनुरोध

श्री पवन कुमार काला, अपर सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री पवन कुमार काला, अपर सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण निजी अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा—24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

### कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— क०नि०/ 1631 /स्था०-२/अ०स०अ०/स्थान०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/2018

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री पवन कुमार काला, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री काला को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को इस निर्देश के साथ कि श्री काला की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
07. गार्ड पत्रावली।

(०)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/xxx-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/xxx(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	आधुक्ति
1	2	3	4	6
1	श्री रमेश चन्द्र जोशी अपर सहायक अभियन्ता	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	जनहित

श्री रमेश चन्द्र जोशी, अपर सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री रमेश चन्द्र जोशी, अपर सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

४०  
(डॉ अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

### कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ १६३० /स्था०-२/अ०स०अ०/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : १०/६/२०१८  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री रमेश चन्द्र जोशी, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रमेश चन्द्र जोशी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से कि श्री रमेश चन्द्र जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
05. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमार्यू मण्डल, हल्द्वानी।
06. गार्ड पत्रावली।

५०  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 / XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उत्तिलिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6
1	श्री मुकेश कुमार सैनी अपर सहायक अभियन्ता	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी स्थित लण्ठौरा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर	जनहित

श्री मुकेश कुमार सैनी, अपर सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री मुकेश कुमार सैनी, अपर सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अपल में लायी जायेगी।

टृ०।-

(डॉ) अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,**  
**देहरादून।**

**1629**

पत्रांक:- कृ०नि०/ / स्था०-२/अ०सा०अ०/स्था०प्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/2018  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री मुकेश कुमार सैनी, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी स्थित लण्ठौरा।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी स्थित लण्ठौरा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मुकेश कुमार सैनी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर को इस आशय से कि श्री मुकेश कुमार सैनी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।